



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 5, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत में युवाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व	2
2. पर्यावरण शासन और वन्यजीव गलियारे	4
3. वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में भारत की वृद्धि	5
4. वैश्विक डेटा एंबेसी हब के रूप में भारत	6
5. आरबीआई मौद्रिक नीति समिति और मुद्रास्फीति प्रबंधन	8
6. भारत की ₹2000 करोड़ की बागवानी क्लस्टर योजना	9
7. UPI भुगतानों पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) की संभावित वापसी	10
8. सामग्री मॉडरेशन और सुरक्षा पर बिग टेक के साथ सरकार की सहभागिता	12
9. डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर अंकुश लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश	13
10. केरल आपदा लचीलापन प्रणाली और बाढ़ प्रबंधन	14
11. नाटो का विकास और ट्रांसअटलांटिक बोझ-साझाकरण (Burden-Sharing)	16
12. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस	17

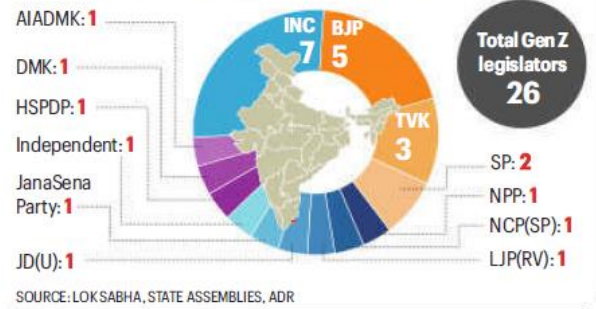
1. भारत में युवाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व

मुख्य बातें और सारांश

- गंभीर कम प्रतिनिधित्व:** जेन जेड (Gen Z) भारत की आबादी का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा है, फिर भी उनके पास राजनीतिक शक्ति का नगण्य हिस्सा है, देश भर में केवल 6 लोकसभा सांसद और 20 विधायक हैं।
- वैधानिक पात्रता बाधा:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता 25 वर्ष है, जो प्रत्यक्ष चुनावी भागीदारी से छोटे जनसांख्यिकीय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कानूनी रूप से रोकती है।
- पार्टी-वार वितरण:** INC (7) और BJP (5) जैसे प्रमुख राष्ट्रीय दल जेन जेड प्रतिनिधित्व में आगे हैं, इसके बाद TVK (3) और SP (2) जैसे क्षेत्रीय संगठन हैं, और छोटी पार्टियों के पास इकलौती सीटें हैं।

- **नागरिक सक्रियता बनाम चुनावी राजनीति:** जबकि युवा समूह सड़कों और डिजिटल प्लेटफार्मों पर सार्वजनिक चर्चा, विरोध प्रदर्शन और जमीनी आंदोलनों को सक्रिय रूप से आकार देते हैं, संस्थागत विधायी निकायों में उनका संक्रमण प्रतिबंधित रहता है।
- **संरचनात्मक बाधाएं:** भारत में राजनीति पर गहराई से निहित नेतृत्व नेटवर्क, वंशवादी राजनीति और पुराने समूहों का भारी वर्चस्व बना हुआ है, जिससे युवा आकांक्षी उम्मीदवारों के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल हो जाता है।

• Party-wise Gen Z MPs and MLAs



आवश्यक परिभाषाएं

- **जेन जेड (Gen Z):** जनसांख्यिकीय रूप से लगभग 1997 और 2012 के बीच जन्मे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित, जो डिजिटल मूलता, बढ़ी हुई सामाजिक जागरूकता और आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की विशेषता रखते हैं।
- **विधानमंडल (Legislature):** किसी राष्ट्र या राज्य की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था, जिसमें कानून बनाने, नीति पर बहस करने और कार्यकारी को जवाबदेह ठहराने के लिए जिम्मेदार चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 84(b):** यह प्रावधान करता है कि संसद (लोकसभा) के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
- **संविधान का अनुच्छेद 173(b):** राज्य विधानसभा (विधानसभा) के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 326:** सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, यह स्थापित करता है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव 18 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है और संसद और राज्य विधानसभाओं में सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करता है, जो 25 की आयु सीमा को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष

भारत की युवा आबादी और इसके पुरानी होती विधायी सदनों के बीच का स्पष्ट विभाजन संरचनात्मक राजनीतिक समावेशन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। उम्मीदवार की प्रवेश बाधाओं को कम करना, राजनीतिक दलों के भीतर युवा विंग को बढ़ावा देना और सलाहकारों के कार्यक्रमों को संस्थागत बनाना इस लोकतांत्रिक घाटे को पाटने और समग्र राष्ट्रीय शासन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

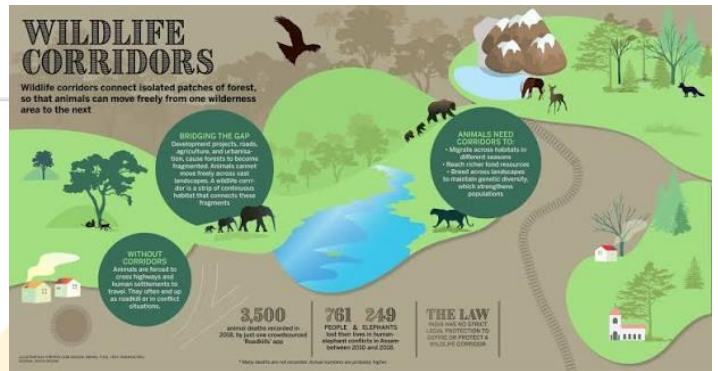
यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (भारतीय राजनीति और संविधान) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, विशेष रूप से लोगों के प्रतिनिधित्व, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताओं, भारतीय लोकतंत्र में संरचनात्मक चुनौतियों और समावेशी शासन से संबंधित है।

2. पर्यावरण शासन और वन्यजीव गलियारे

मुख्य बातें और सारांश

- **संवेदनशील क्षेत्र में परियोजना को मंजूरी:** राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (SC-NBWL) की स्थायी समिति ने पन्ना-रानीपुर टाइगर कॉरिडोर में स्थित 1800 मेगावाट की पनारी पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना के लिए मंजूरी की सिफारिश की।
- **पारिस्थितिक विखंडन जोखिम:** इस परियोजना के लिए 411.48 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व के बीच बाघों, तेंदुओं और भालुओं के निरंतर आवागमन के पैटर्न को खतरा पैदा होता है।
- **शमन शर्तें:** मंजूरी में बागाइन नदी पर तीन 30 मीटर चौड़े वन्यजीव ओवरपास का निर्माण करना और मलबे की डंपिंग वाले क्षेत्रों को फिर से व्यवस्थित करना जैसे अनिवार्य शमन उपाय शामिल हैं।
- **विरोधी विशेषज्ञ विचार:** जबकि स्थानीय वन अधिकारियों ने केन-बेथा नदी-जोड़ परियोजना के कारण आवास विखंडन और वन्यजीवों की आवाजाही में वृद्धि के संबंध में कड़ी आपत्तियां उठाईं, WII और NTCA जैसे केंद्रीय सलाहकार निकायों ने शमन चेतावनियों के साथ मंजूरी का पक्ष लिया।
- **रणनीतिक विकास बनाम संरक्षण ट्रेड-ऑफ:** यह निर्णय स्वच्छ ऊर्जा भंडारण बुनियादी ढांचे (पंप स्टोरेज परियोजनाओं) को आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारों को संरक्षित करने के बीच चल रहे घर्षण को उजागर करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **वन्यजीव गलियारा (Wildlife Corridor):** मानव-निर्मित संरचनाओं, सड़कों या औद्योगिक विकास द्वारा अन्यथा अलग किए गए वन्यजीव आबादी को जोड़ने वाली प्राकृतिक आवास की एक पट्टी, जो जीन प्रवाह और सुरक्षित पशु प्रसार की अनुमति देती है।
- **पंप स्टोरेज प्लांट (PSP):** जलविद्युत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का एक प्रकार जहां ऑफ-पीक घंटों के दौरान पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है और पीक डिमांड के दौरान बिजली उत्पन्न करने के लिए छोड़ा जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों के निर्माण, सुरक्षा और विनियमन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों के भीतर गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

- **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5(A) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं, जिसे सभी वन्यजीव-संबंधित मामलों की समीक्षा करने और संरक्षित क्षेत्रों में या उसके पास परियोजनाओं को मंजूरी देने का आदेश दिया गया है।
- **संविधान का अनुच्छेद 48A:** राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक भारतीय नागरिक पर वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने का मौलिक कर्तव्य डालता है।

निष्कर्ष

हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे की ओर संक्रमण को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करना विज्ञान-आधारित प्रभाव आकलन के कड़े पालन की मांग करता है। जबकि पंप स्टोरेज परियोजनाएं अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर से समझौता करने से दीर्घकालिक जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को कमजोर करने का जोखिम होता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (वैधानिक और नियामक निकाय) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उच्च प्रासंगिकता रखता है।

3. वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में भारत की वृद्धि

मुख्य बातें और सारांश

- **जुलाई में रिकॉर्ड संग्रह:** जुलाई में भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 2.11 ट्रिलियन रुपये से अधिक हो गया, जो 2017 में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था शुरू होने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है।
- **नाममात्र जीडीपी से आगे निकलती वृद्धि:** वित्त वर्ष 2027 में जीएसटी राजस्व वृद्धि तेज हो गई है, जिसमें जुलाई के संग्रह में 10% के केंद्रीय बजट के नाममात्र जीडीपी विकास अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 15.4% साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई है।
- **आर्थिक औपचारिकीकरण और अनुपालन:** विस्तार बेहतर कर अनुपालन, ई-चालान और ई-वे बिल के माध्यम से प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी, और राज्य प्रशासनों के तहत 9.6 मिलियन पंजीकृत संस्थाओं को पार करने वाले करदाता आधार को चौड़ा करने से प्रेरित है।
- **स्वस्थ रिफंड संवितरण:** जुलाई में जीएसटी रिफंड साल-दर-साल 13.1% बढ़कर 29,968 करोड़ रुपये हो गया, जबकि शुद्ध जीएसटी संग्रह में अभी भी 15.8% की वृद्धि हुई, जिससे यह साबित होता है कि राजस्व वृद्धि देरी से रिफंड प्रोसेसिंग के बजाय वास्तविक आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है।
- **आयात-संबंधित करों में वृद्धि:** जुलाई में हुई वृद्धि के पीछे एक मुख्य चालक आयात पर एकत्र किए गए जीएसटी में 28.8% की वृद्धि थी, जो बाहरी व्यापार से असंगत रूप से बड़े योगदान को उजागर करती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST):** भारत भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक, बहु-चरण, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर, जिसमें अधिकांश केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC):** व्यवसायों को आउटपुट (बिक्री) पर अपनी अंतिम कर देयता से इनपुट (खरीद) पर पहले से भुगतान किए गए कर को कम करने की अनुमति देने वाला एक तंत्र, जो आपूर्ति श्रृंखला औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **एक सौ पहला संशोधन अधिनियम, 2016:** भारत के संविधान में अनुच्छेद 246A, 269A और 279A डाला गया, जो GST व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 279A:** कर दरों, छूट और सीमाओं पर सिफारिशें करने के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच के रूप में जीएसटी परिषद की स्थापना को अनिवार्य करता है।
- **केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017:** केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की इंटर-स्टेट आपूर्ति पर कर के लेवी और संग्रह को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में संरचनात्मक सुधारों को रेखांकित करती है। चोरी पर लगाम लगाने और आर्थिक लेनदेन को औपचारिक रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, कर व्यवस्था ने खुद को व्यापक आर्थिक स्वास्थ्य और लचीले घरेलू उपभोग के एक विश्वसनीय, उच्च-आवृत्ति संकेतक के रूप में स्थापित किया है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधनों का संचयन, विकास और विकास, और कर सुधार) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

4. वैश्विक डेटा एंबेसी हब के रूप में भारत

मुख्य बातें और सारांश

- **रणनीतिक दृष्टिकोण:** केंद्र विदेशी सरकारों के डेटा एंबेसी के लिए भारत को एक प्रमुख वैश्विक मेजबान के रूप में स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार कर रहा है।
- **तेजी से बाजार विस्तार:** भारत का डेटा सेंटर बाजार, जिसका मूल्य \$8.94 बिलियन है, 2035 तक बढ़कर \$31.36 बिलियन होने का अनुमान है, कुल स्थापित क्षमता 12 गीगावाट (GW) से अधिक हो गई है।



SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

- **भारी विदेशी निवेश:** वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों और घरेलू conglomerates ने देश भर में डेटा सेंटर क्षमता का विस्तार करने के लिए \$250 बिलियन से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
- **बुनियादी ढांचा और ऊर्जा चुनौतियाँ:** तीव्र वृद्धि के बावजूद, आयातित आईटी हार्डवेयर (सर्वर, स्टोरेज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) पर भारी निर्भरता, संभावित बिजली ग्रीड तनाव, और विशेष AI बुनियादी ढांचा पेशेवरों की कमी मुख्य बाधाएं बनी हुई हैं।
- **वैश्विक रैंकिंग में छलांग:** प्रतिस्पर्धी लागत लाभ और विस्तारित एज नेटवर्क से प्रेरित होकर, भारत मध्य-2024 में वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान से परिचालन डेटा सेंटरों में 6वें स्थान पर पहुंच गया है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **डेटा एंबेसी (Data Embassy):** एक सुरक्षित, संप्रभु क्लाउड बुनियादी ढांचा या सर्वर सुविधा जो किसी विदेशी राष्ट्र के क्षेत्र के भीतर होस्ट की जाती है, लेकिन संकट के दौरान डिजिटल निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू देश के कानूनों और राजनयिक स्थिति के तहत कानूनी रूप से सुरक्षित होती है।
- **हाइपरस्केलर (Hyperscaler):** उद्यम-स्तरीय डेटा स्टोरेज, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्कलोड का समर्थन करने के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने में सक्षम बड़े पैमाने पर क्लाउड सेवा प्रदाता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** भारत में साइबर कानून, इलेक्ट्रॉनिक शासन और डेटा सुरक्षा मानकों को विनियमित करने वाले प्राथमिक कानूनी कानून के रूप में कार्य करता है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण, व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों की रक्षा और सीमा पार डेटा प्रवाह को विनियमित करने के लिए वैधानिक ढांचा स्थापित करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) अधिनियम, 2019:** GIFT सिटी जैसे IFSC क्षेत्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करता है, जो अंतरराष्ट्रीय डेटा एंबेसी फ्रेमवर्क के लिए आवश्यक विनियामक सैंडबॉक्स प्रदान करता है।

निष्कर्ष

भारत को एक वैश्विक डेटा एंबेसी हब में बदलना डिजिटल कूटनीति, बुनियादी ढांचा विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता के रणनीतिक अभिसरण का प्रतिनिधित्व करता है। हार्डवेयर आयात निर्भरता पर काबू पाकर और टिकाऊ ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित करके, भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के एक अनिवार्य स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (बुनियादी ढांचा, आईटी और कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा, विकास और विकास) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (अंतरराष्ट्रीय संबंध और द्विपक्षीय समझौते) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

5. आरबीआई मौद्रिक नीति समिति और मुद्रास्फीति प्रबंधन

मुख्य बातें और सारांश

- **वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करना:** जैसे ही आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बैठक करती है, लगातार पश्चिम एशियाई अस्थिरता और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को धुंधला करना जारी रखते हैं, हालांकि डॉलर का प्रवाह मजबूत बना हुआ है।
- **लचीला घरेलू विकास:** उच्च-आवृत्ति संकेतक मजबूत आर्थिक विकास दिखाते हैं, और हेडलाइन मुद्रास्फीति लगातार नीचे की ओर आश्चर्यचकित कर रही है, जो 4.2% के पूर्वानुमान के मुकाबले जून तिमाही में औसतन 3.9% है।
- **मानसून पुनरुद्धार और खाद्य कीमतें:** जुलाई में मानसून ने जोर पकड़ा, जिससे संचयी वर्षा की कमी कम हुई और फसल बुवाई को बढ़ावा मिला, जिसने खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं में मौसमी उछाल को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया।
- **कोर इन्फ्लेशन स्थिरता:** कोर इन्फ्लेशन अपने दीर्घकालिक औसत के साथ निकटता से संरेखित है, जो केंद्रीय बैंक को समय से पहले दर में बढ़ोतरी का संकेत दिए बिना प्रतीक्षा-और-देखो के दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
- **तरलता और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन:** ब्याज दरों से परे, ध्यान तरलता प्रबंधन की ओर स्थानांतरित होता है क्योंकि बैंकिंग प्रणाली FCNR (B) इनफ्लो के माध्यम से विदेशी मुद्रा जमा को अवशोषित करती है और संकुचित भारत-अमेरिका बॉण्ड यील्ड की निगरानी करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मौद्रिक नीति समिति (MPC):** लक्षित अधिमान के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो दर) तय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का एक वैधानिक निकाय।
- **कोर इन्फ्लेशन (Core Inflation):** मुद्रास्फीति का एक उपाय जो अस्थिर वस्तुओं जैसे खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को बाहर करता है, जो किसी अर्थव्यवस्था में मूल्य दबावों के अंतर्निहित, दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB:** केंद्र सरकार को मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करने के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार देती है।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा:** आरबीआई अधिनियम की धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच एक समझौते के माध्यम से स्थापित, +/- 2% के बैंड के साथ 4% के लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष

घरेलू विकास का लचीलापन, पुनर्जीवित मानसून और subdued core inflation द्वारा समर्थित, आरबीआई को अस्थायी आपूर्ति-पक्ष के झटकों को देखने के लिए सुसज्जित करता है। डेटा-निर्भर रुख बनाए रखना वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने और व्यापक आर्थिक विकास को बनाए रखने के बीच एक ठीक संतुलन सुनिश्चित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, विकास और विकास, और बैंकिंग क्षेत्र सुधार) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6. भारत की ₹2000 करोड़ की बागवानी क्लस्टर योजना

मुख्य बातें और सारांश

- लक्षित क्लस्टर विकास:** केंद्र प्रमुख उपभोग केंद्रों के 100-किलोमीटर के दायरे में फलों और सब्जियों के लिए शहरी-निकटवर्ती (peri-urban) बागवानी क्लस्टर विकसित करने के लिए ₹2000 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू कर रहा है।
- मुद्रास्फीति नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता:** आपूर्ति श्रृंखलाओं को छोटा करके और उत्पादन केंद्रों को शहरी बाजारों के करीब जोड़कर, इस योजना का उद्देश्य खाद्य मुद्रास्फीति को रोकना, माल ढुलाई लागत को कम करना और कटाई के बाद के नुकसान को कम करना है।
- हितधारक सहयोग:** पांच साल की पहल मजबूत खेत-से-बाजार लिंकेज बनाने और रसद में सुधार के लिए निजी खिलाड़ियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समितियों को शामिल करेगी।
- मूल्य अस्थिरता का समाधान:** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सब्जियों के 6.82% और फलों और नट्स के 3.70% वजन होने के कारण, इन श्रेणियों में आपूर्ति के झटके हेडलाइन मुद्रास्फीति के प्रमुख चालकों के रूप में काम करते हैं।
- चरणबद्ध कार्यान्वयन:** पहला चरण 2011 की जनगणना के आधार पर 1.5 मिलियन या उससे अधिक आबादी वाले राज्य की राजधानियों और शहरों को कवर करेगा, इसके बाद बाद के रोलआउट में 1 मिलियन से अधिक निवासियों वाले शहर आएंगे।

आवश्यक परिभाषाएं

- पेरी-अर्बन कृषि (Peri-Urban Agriculture):** कस्बों और शहरों में और उसके आस-पास स्थित खाद्य उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण और वितरण की प्रथा, जो शहरी उपभोक्ताओं के लिए ताजे उत्पादों तक तत्काल पहुंच प्रदान करती है।
- किसान उत्पादक संगठन (FPO):** सामूहिक सौदेबाजी का लाभ उठाने, बाजार तक पहुंच में सुधार करने और कृषि आय को बढ़ाने के लिए किसानों और दूध उत्पादकों जैसे प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठित एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त इकाई।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH):** फलों, सब्जियों, जड़ और ककड़ फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस को कवर करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना।
- **संविधान का अनुच्छेद 48:** राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है, जो कृषि नीतियों के लिए एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है।
- **आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020:** अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तेलों जैसी प्रमुख कृषि वस्तुओं के भंडारण और संचलन को विरले करता है, कोल्ड-चेन और आपूर्ति बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को सशक्त बनाता है।

निष्कर्ष

बागवानी क्लस्टर योजना भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला को प्रतिक्रियाशील प्रणाली से एक संगठित, मांग-जुड़े नेटवर्क में बदलने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। कटाई के बाद के नुकसान को कम करके और शहरी खाद्य मूल्य की अस्थिरता को कम करके, यह किसानों की प्राप्ति और उपभोक्ता मूल्य स्थिरता के लिए जुड़वां लाभ सुरक्षित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

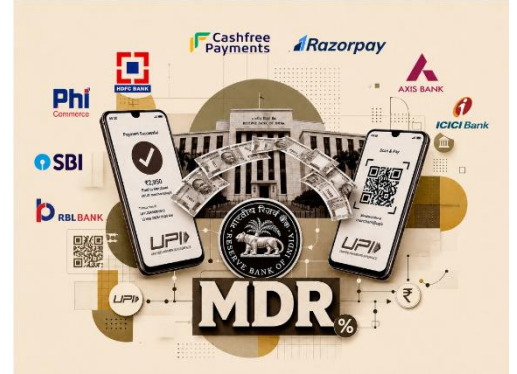
यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (कृषि, कृषि उपज का विपणन और मुद्दे, पशु पालन का अर्थशास्त्र, खाद्य सुरक्षा, और समावेशी विकास) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

7. UPI भुगतानों पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) की संभावित वापसी

मुख्य बातें और सारांश

- **MDR पर विधायी बदलाव:** लोकसभा में पेश किया गया एक नया विधेयक कुछ चुनिंदा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) को संभावित रूप से फिर से लागू करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **रिजर्व बैंक को अधिकार देना:** यह संशोधन बदलता है कि वैधानिक प्रावधानों के तहत कवर किए गए भुगतान मोड कैसे निर्धारित किए जाते हैं, जिससे सरकार और आरबीआई को व्यापक प्रतिबंध लगाने के बजाय चुनिंदा रूप से शुल्क निर्धारित करने या छूट देने की शक्ति मिलती है।

- **उद्योग की स्थिरता संबंधी चिंताएं:** भुगतान एग्रीगेटर्स, अधिग्रहण करने वाले बैंकों और फिनटेक फर्मों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि उच्च-वॉल्यूम वाले शून्य-MDR UPI भुगतानों को संसाधित करने से एक गंभीर राजस्व घाटा पैदा होता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को खतरा होता है।
- **बड़े उद्यमों पर लक्षित प्रभाव:** यदि इसे फिर से लागू किया जाता है, तो MDR को विशेष रूप से बड़े व्यापारियों, उच्च-मूल्य वाले वाणिज्य और विशिष्ट लेनदेन सीमाओं तक सीमित किए जाने की उम्मीद है, जिससे छोटे विक्रेताओं और रोजमर्रा के खुदरा उपयोगकर्ताओं की रक्षा होगी।
- **लाभार्थी और घाटे में रहने वाले:** जबकि भुगतान गेटवे (जैसे रेज़रपे, पेयू), अधिग्रहण करने वाले बैंक और तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाता स्थिर राजस्व धाराओं को प्राप्त करने के लिए खड़े हैं, उच्च-मूल्य वाले UPI हस्तांतरण स्वीकार करने वाले बड़े व्यापारियों को थोड़ा अधिक परिचालन प्रसंस्करण लागत का सामना करना पड़ सकता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR):** अधिग्रहण करने वाले बैंकों या भुगतान सुविधाकर्ताओं द्वारा किसी व्यापारी से लिया जाने वाला एक छोटा शुल्क, जब भी कोई ग्राहक डिजिटल भुगतान करता है, जिसे बाद में भाग लेने वाले बैंकों, कार्ड नेटवर्क और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के बीच वितरित किया जाता है।
- **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI):** नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली जो एकल वर्चुअल हैंडल का उपयोग करके मोबाइल उपकरणों के माध्यम से अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SU:** निर्दिष्ट व्यवसायों को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अनिवार्य करती है, जिसमें पहले एक व्यापक वैधानिक सुरक्षा शामिल थी जो UPI को व्यापारी शुल्क से मुक्त रखती थी।
- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करता है।
- **भारत के संविधान का अनुच्छेद 246:** संसद को बैंकिंग, मुद्रा और विदेशी मुद्रा सहित संघ सूची में १४ मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, जो वित्तीय बाजार संशोधनों के लिए विधायी आधार के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष

MDR के संबंध में प्रस्तावित वैधानिक परिवर्तन भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक पुनर्गठन का प्रतिनिधित्व करता है। एक लक्षित, सीमा-आधारित शुल्क संरचना की ओर बढ़ने से, नीति निर्माता छोटे विक्रेताओं या साधारण नागरिकों पर अत्यधिक बोझ डाले बिना फिनटेक नवाचार और सिस्टम स्थिरता की रक्षा कर सकते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, और संसाधनों का संचयन) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

8. सामग्री मॉडरेशन और सुरक्षा पर बिग टेक के साथ सरकार की सहभागिता

मुख्य बातें और सारांश

- उच्च स्तरीय समन:** केंद्र सरकार ने परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा करने वाले भारतीय युवाओं को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पोस्ट को प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किए जाने के बाद, नई दिल्ली में जोएल कपलान सहित मेटा के शीर्ष वैश्विक अधिकारियों को महत्वपूर्ण सामग्री मॉडरेशन और सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए बुलाया।
- सार्वजनिक चर्चा की सेंसरशिप:** इस बैठक की शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट को प्रतिबंधित किया गया।
- बाल सुरक्षा की कमियां:** राजनीतिक सेंसरशिप से परे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को रोकने में प्लेटफॉर्म की विफलताओं पर गंभीर चिंताएं उठाईं।
- अपर्याप्त तकनीकी स्पष्टीकरण:** हालांकि मेटा ने प्रधानमंत्री के पोस्ट के प्रतिबंध का कारण तकनीकी गड़बड़ी बताया और माफी मांगी, लेकिन सरकार ने इस स्पष्टीकरण को एक प्रौद्योगिकी लीडर के लिए अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया।
- मध्यस्थों की जवाबदेही:** यह विकास मनमाने ढंग से सामग्री हटाने, एल्गोरिथम पारदर्शिता और वैधानिक अनुपालन के संबंध में प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कड़े राज्य पर्यवेक्षण को रेखांकित करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- मध्यस्थ (Intermediary):** कोई भी इकाई जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करती है, संग्रहीत करती है, या प्रसारित करती है या उस रिकॉर्ड के संबंध में कोई सेवा प्रदान करती है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सेवा प्रदाता और सर्च इंजन शामिल हैं।
- बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM):** नाबालिगों से जुड़े यौन शोषण का कोई भी दृश्य चित्रण, जिसके वितरण, होस्टिंग या प्रसारण से एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू साइबर अपराध बनता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** सोशल मीडिया मध्यस्थों पर सख्त उचित परिश्रम आवश्यकताओं को लागू करता है, जिसमें शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करना, पता लगाने की क्षमता सक्षम करना और CSAM और गैरकानूनी सामग्री को सक्रिय रूप से हटाने के लिए स्वचालित उपकरणों को तैनात करना शामिल है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79:** मध्यस्थों को दी जाने वाली सुरक्षित बंदरगाह (safe harbor) सुरक्षा को नियंत्रित करती है, यह निर्दिष्ट करती है कि दायित्व से प्रतिरक्षा सरकार के उचित परिश्रम मानदंडों के कड़े अनुपालन पर निर्भर करती है।
- **संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a):** भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, शान्ति और संप्रभुता के हित में अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म संचार अधिकारों को संतुलित करता है।

निष्कर्ष

नियामक निकायों और वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के बीच घर्षण डिजिटल espacios में मजबूत जवाबदेही की अनिवार्यता को उजागर करता है। CSAM जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ प्लेटफॉर्म सुरक्षा सुनिश्चित करना और बिना किसी बाधा के सार्वजनिक संचार के लिए लोकतांत्रिक प्रवचन से समझौता किए बिना मध्यस्थ दायित्वों के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, और मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

9. डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर अंकुश लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

मुख्य बातें और सारांश

- **न्यायिक हस्तक्षेप:** सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों, भारतीय रिजर्व बैंक और दूरसंचार प्राधिकरणों को डिजिटल अरेस्ट घोटालों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया।
- **परिचालन निवारण तंत्र:** अदालत ने अधिकारियों को त्वरित शिकायत निवारण तंत्र को चालू करने, साइबर धोखेबाजों के खिलाफ शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से आपराधिक कार्रवाई शुरू करने और पीड़ितों को मौद्रिक नुकसान की समयबद्ध बहाली सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
- **दर्ज मामलों में गिरावट:** गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल अरेस्ट के बारे में शिकायतें 2024 में 123672 से गिरकर 2025 में 58249 हो गईं, और 30 जून, 2026 को समाप्त अवधि के लिए 16377 थीं।
- **सतत सतर्कता की आवश्यकता:** हालांकि यह नोट किया गया कि शिकायतों में सांख्यिकीय गिरावट उत्साहजनक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक समय में धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए निरंतर निगरानी और सक्रिय अंतर-एजेंसी समन्वय आवश्यक है।
- **बहु-हितधारक तालमेल:** जटिल साइबर जबरन वसूली रिंगों से निपटने के लिए वित्तीय संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और डिजिटल प्लेटफार्मों में समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest):** साइबर धोखाधड़ी का एक उभरता हुआ रूप जहां घोटालेबाज वीडियो कॉल के माध्यम से कानून प्रवर्तन या नियामक अधिकारियों का प्रतिरूपण करते हैं, और पैसे ऐंठने के लिए आपराधिक जांच के झूठे बहानों के तहत पीड़ितों को कारावास में डराते-धमकाते हैं।
- **जीरो एफआईआर (Zero FIR):** एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, भले ही अपराध किस स्थान पर हुआ हो, बाद में नियमित जांच के लिए उपयुक्त क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर दिया जाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** साइबर अपराधों, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को नियंत्रित करता है, और भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघनों और डिजिटल प्रतिरूपण अपराधों की जांच के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023:** आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करती है, जो एफआईआर दर्ज करने, इलेक्ट्रॉनिक जांच करने और डिजिटल साक्ष्य का प्रबंधन करने के लिए अद्यतन प्रक्रियात्मक आदेश प्रदान करती है।
- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसका डिजिटल अरेस्ट घोटालों के माध्यम से नागरिकों को मनोवैज्ञानिक आतंक और अवैध कारावास के अधीन किए जाने पर गंभीर उल्लंघन होता है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश परिष्कृत साइबर जबरन वसूली के खिलाफ एक बहु-एजेंसी रक्षा को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम चिह्नित करते हैं। डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी ट्रेकिंग, तेजी से वित्तीय ठंडक तंत्र और बढ़ी हुई सार्वजनिक कानूनी जागरूकता के मजबूत संयोजन की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (संवैधानिक और वैधानिक निकाय, न्यायपालिका) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

10. केरल आपदा लचीलापन प्रणाली और बाढ़ प्रबंधन

मुख्य बातें और सारांश

- **पायलट लचीलापन पहल:** केरल ने आवर्ती मानसून बाढ़ के खिलाफ तैयारियों को मजबूत करने के लिए पायलट आधार पर पतनमतिष्ठा में अत्याधुनिक आपदा लचीलापन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की।

- **उन्नत निगरानी बुनियादी ढांचा:** प्रस्तावित प्रणाली में CUSAT और ह्यूम सेंटर जैसे अनुसंधान निकायों के सहयोग से विकसित वर्षा गेज के एक सघन नेटवर्क और एक उन्नत प्रारंभिक चेतावनी तंत्र को एकीकृत किया गया है।
- **वहन क्षमता संकट:** मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने खराब होती बाढ़ की स्थिति को सीधे तौर पर नदियों की घटती वहन क्षमता से जोड़ा, और 2018 के बाद से व्यापक गाद (siltation) और अपर्याप्त रखरखाव पर प्रकाश डाला।
- **बढ़ता जलवायु टोल:** लगातार अत्यधिक वर्षा की घटनाओं, बादल फटने (cloudbursts) और लगातार भूस्खलन ने चार दिनों में मरने वालों की संख्या को 25 तक पहुँचा दिया है, जिससे नौ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा है।
- **सक्रिय शमन फोकस:** राज्य सरकार ने अचानक बादल फटने के कारण कम हुए प्रतिक्रिया समय का मुकाबला करने के लिए नदी चैनलों के बाढ़ के बाद के डी-सिल्टेशन और तेजी से निकासी प्रोटोकॉल को प्राथमिकता दी।

आवश्यक परिभाषाएं

- **वहन क्षमता (Carrying Capacity):** पानी या तलछट की अधिकतम मात्रा जो एक नदी चैनल अपने किनारों को ओवरफ्लो किए बिना और विनाशकारी बाढ़ का कारण बने बिना सुरक्षित रूप से नीचे की ओर ले जा सकती है।
- **बादल फटना (Cloudburst):** एक स्थानीयकृत, अचानक और बहुत भारी वर्षा की घटना जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटे 100 मिमी से अधिक होती है, जो अक्सर पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ और विनाशकारी भूस्खलन को ट्रिगर करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** आपदा प्रबंधन, शमन योजना और आपातकालीन वित्तीय प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों (NDMA, SDMA, DDMA) पर संस्थागत तंत्र स्थापित करता है।
- **आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2009:** राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से रोकथाम, शमन, तैयारियों और क्षमता निर्माण को शामिल करने वाले एक सक्रिय शासन की ओर एक प्रतिमान बदलाव पर जोर देती है।
- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सुरक्षित पर्यावरण में रहने का अधिकार शामिल है, जो राज्य पर रोकी जा सकने वाली प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करने का सकारात्मक कर्तव्य थोपता है।

निष्कर्ष

केरल में आवर्ती बाढ़ संकट प्रतिक्रियात्मक आपदा राहत से सक्रिय बुनियादी ढांचे के लचीलापन में बदलाव की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। नदियों की वहन क्षमता को बहाल करना, अति-स्थानीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को तैनात करना, और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त भूमि-उपयोग नियमों को लागू करना दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

11. नाटो का विकास और ट्रांसअटलांटिक बोझ-साझाकरण (Burden-Sharing)

मुख्य बातें और सारांश

- **बदलता ट्रांसअटलांटिक कॉम्पैक्ट:** 1949 में नाटो की स्थापना के बाद से पहली बार, वाशिंगटन यूरोप से अपनी पारंपरिक सुरक्षा के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी संभालने का आग्रह कर रहा है, जो पूर्ण अमेरिकी निर्भरता से एक मौलिक बदलाव को चिह्नित करता है।
- **अमेरिकी रणनीतिक पुनर्संतुलन:** अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से प्रेरित होकर, अमेरिका ने यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को धीरे-धीरे घटाकर लगभग 75,000 से 80,000 सैनिकों तक कर दिया है, और अपना रणनीतिक ध्यान इंडो-पैसिफिक की ओर पुनर्निर्देशित किया है।
- **गठबंधन का चरणबद्ध विकास:** नाटो तीन अलग-अलग अवधियों से गुजरा है: नाटो 1.0 (शीत युद्ध सामूहिक प्रतिरोध), नाटो 2.0 (शीत युद्ध के बाद का पूर्व की ओर विस्तार और क्षेत्र से बाहर के संचालन), और वर्तमान तीसरा चरण जो एक संतुलित साझेदारी पर केंद्रित है।
- **वित्तीय और क्षमता प्रतिबद्धताएं:** यूरोपीय सहयोगियों ने काफी हद तक कदम बढ़ाया है, उच्च रक्षा परिव्यय का संकल्प लिया है—जैसे कि 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.5% के मुख्य रक्षा खर्च को लक्षित करना—साथ ही यूक्रेन के लिए €70 बिलियन की सैन्य सहायता।
- **भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ:** एक आत्म-फर्स्ट (self-reliant) यूरोप वाशिंगटन को चीन के खिलाफ इंडो-पैसिफिक सुरक्षा संतुलन को मजबूत करने की अनुमति देता है, जबकि भारत के लिए रक्षा विनिर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकी में यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी करने के रास्ते खुलते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **बोझ-साझाकरण (Burden-Sharing):** सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन के सदस्य देशों के बीच वित्तीय, सैन्य और परिचालन उत्तरदायित्वों का आनुपातिक वितरण।
- **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** बाहरी शक्तियों पर अनुचित निर्भरता के बिना स्वतंत्र रूप से विदेश नीति और रक्षा रणनीतियों को तैयार करने और निष्पादित करने की राष्ट्र की क्षमता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **उत्तरी अटलांटिक संधि (1949):** नाटो की स्थापना करने वाली संस्थापक अंतरराष्ट्रीय संधि, अनुच्छेद 5 के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत को स्थापित करती है कि एक सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला सभी के खिलाफ हमला है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51:** राज्यों के व्यक्तिगत या सामूहिक आत्म-रक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है, जो नाटो के सामूहिक सुरक्षा वास्तुकला के अंतरराष्ट्रीय कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है।

- **भारत के संविधान का अनुच्छेद 51:** भारतीय राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान को बढ़ावा देने, और मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है, जो भारत के स्वतंत्र राजनयिक रुख का मार्गदर्शन करता है।

निष्कर्ष

नाटो का संरचनात्मक परिवर्तन वैश्विक सुरक्षा बोझ के व्यावहारिक पुनर्वितरण को दर्शाता है। यूरोप से अपनी क्षेत्रीय रक्षा का प्रभार लेने का आग्रह करके, ट्रांसअटलांटिक गठबंधन एक बहुध्रुवीय दुनिया के अनुकूल हो रहा है, जिससे भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए उच्च-तकनीकी रक्षा साझेदारियों का विस्तार करने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (अंतराष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह जिसमें भारत शामिल है और भारत के हितों को प्रभावित करते हैं) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (सुरक्षा चुनौतियाँ और रक्षा तैयारी) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

12. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

मुख्य बातें और सारांश

- **CAPF अधिनियम पर न्यायिक जांच:** सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और DoPT को नोटिस जारी किया।
- **मुख्य कानूनी चुनौती:** CRPF के सहायक कमांडेंट बिभोर कुमार सिंह के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 3 और 4 को संविधान के अल्ट्रा वायर्स (अधिकार क्षेत्र से बाहर) के रूप में चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि यह IPS अधिकारियों के लिए विशेष प्रतिनियुक्ति कोटा को संस्थागत बनाता है।
- **प्रतिनियुक्ति कोटा विवाद:** आक्षेपित अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि महानिरीक्षक (IG) के 50% पद, अतिरिक्त महानिरीक्षक (ADG) के पदों में से कम से कम 67%, और विशेष महानिरीक्षक और महानिरीक्षक (DG) के 100% पद प्रतिनियुक्ति पर IPS अधिकारियों द्वारा भरे जाएं।
- **पूर्व निर्णयों का उल्लंघन:** याचिका का तर्क है कि कानून संजय प्रकाश बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 23 मई, 2025 के फैसले को दरकिनार करता है, जिसने उच्च प्रशासनिक ग्रेड पदों के लिए कैडर अधिकारियों का पक्ष लिया था।
- **कैडर अधिकारियों की शिकायत:** प्रत्यक्ष-प्रवेश कार्यकारी अधिकारियों का तर्क है कि आरक्षित शीर्ष-स्तरीय नेतृत्व ट्रैक बल के कर्मियों का मनोबल गिराते हैं, करियर की प्रगति को रोकते हैं, और परिचालन प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs):** गृह मंत्रालय के तहत भारत के वर्दीधारी सुरक्षा बल, जिनमें CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB शामिल हैं, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है।
- **प्रतिनियुक्ति (Deputation):** एक सेवा व्यवस्था जहां अखिल भारतीय सेवा (जैसे IPS) का कोई अधिकारी केंद्रीय सशस्त्र बल के भीतर एक कार्यकारी कमान या प्रशासनिक पद संभालने के लिए अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026:** कैडर ठहराव के संबंध में पूर्व अदालती फैसलों को ओवरराइड करते हुए, CAPF में भर्ती, प्रबंधन और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित।
- **संविधान का अनुच्छेद 33:** संसद को यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार बलों के सदस्यों के आवेदन में मौलिक अधिकारों में से किसी को भी कर्तव्यों के उचित निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए किस हद तक प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 309:** उपयुक्त विधायिका को संघ के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

CAPF अधिनियम पर कानूनी लड़ाई भारत के सुरक्षा वास्तुकला में कैडर की आकांक्षाओं और कैडर-नियंत्रित प्रतिनियुक्ति प्रथाओं के बीच लगातार घर्षण को उजागर करती है। पेशेवर पुलिस नेतृत्व और आंतरिक बल कमांडरों की करियर प्रगति के बीच संतुलन बनाना संगठनात्मक मनोबल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (आंतरिक सुरक्षा, बल और उनके जनादेश) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, और न्यायपालिका) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

AUGUST 5, 2026

